

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर
पत्रांक 273 / 14-1 बिजनौर दिनांक जुलाई 22, 2019
सेवा में,

संजय नागपाल
उप महा प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
495/1 द्वितीय तल मेरठ।

विषय :- जनपद बिजनौर में बिजनौर -हरिद्वार के किमी० 21 की दायीं पटरी पर ग्राम खुड़ाहेड़ी के खसरा संख्या-647 गाटा संख्या-181 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मेरठ द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.078764 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति -पी -28/14-2-2019-800(47)/2019 दिनांक 28.06.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पृष्ठांकित पत्रांक 2495/FP/Others/34755/2019 दिनांक 29.06.2019 इस कार्यालय का मांग पत्र संख्या-44/14-1 दिनांक 03.07.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की EDS dated 09.07.2019 के निर्देशा अनुसार NPV Calculation पुनः कर संशोधित मांग पत्र

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित EDS dated 09.07.2019 के अनुपालन में NPV की गणना पुनः कर संशोधित मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। अतः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ०एन० संख्या-11/ एफसी/आर०ओ०सी०/95-2015/92, दिनांक 30.04.2019 जनपद बिजनौर में बिजनौर -हरिद्वार के किमी० 21 की दायीं पटरी पर ग्राम खुड़ाहेड़ी के खसरा संख्या-647 गाटा संख्या-181 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मेरठ द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.078764 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित करे :-

Obs. No.	Observation	Reply
1	The forest land to be diverted for approach/access should not be more than 0.1 ha.	
2	The clearance of such approach /access to development of project shall be subject to the condition that the project is need based.	
3	The legal status of the land shall remain uncharged.	
4	The user agecy shall submit the project proposal to the State /UT Government in the prescribed formate	

	online on Ministry's web portal under the forest (Conservation) Rules,2003 amended from time to time	
5	The project site should be protected Area Network and eco-sensitive zones(ESZ).	
6	The concerned Divisional forest officer shall access bare minimum requirement of the forest land for the project which shall not exceed 0.1 ha.in each case and will also certify to this effect.	
7	The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by the principal Chief Conservator for forests and from State/UT Government.	
8	The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional officer by 5 th of every month regularly regarding approval of such cases.	
9	The user agency shall plants minimum 50 plants or 10 time no. of trees/plants to be felled whichever is more on Government land to be identified and certified by DFO.	
10	The User Agency shall pay the Net Present Value (NPV)	
11	The User Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surroundings and threrfore,shall take all possible measures in this regard.	
12	The permission granted by the State/Ut Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional Office of the Ministryof Environment,Forest and Climate Change.	
13	The Forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal .	
14	Entire process for settlement of rights in accordance with the provision of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.	
15	The State/UT Forest department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any othe condition from time to time in the interest of conservation,protection and / or development of forest.	

16	वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डेड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा	
17	सड़क के किनारेके वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं वार्किंग लगाया जाये,जिसमे फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।	
18	फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाये जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरु होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।	
19	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के माध्यम से रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या -5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0),क्षतिपरक वनीकरण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक,पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (All Amount will be paid by e-Portal generated Challan only.संशोधित गणना पत्र संलग्न है।	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase 1, Lodhi Road, new Delhi-110003 IFSC Code- CORP0000371 Pay to Account No. e-portal generated challan NPV Amount Rs.49307.00 (fourty nine thousand three hundred seven only)
20	उक्त भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग मे प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे,वन विभाग,उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अप्पडरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बड़ी	

	हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करना होगा।	
22	भारत सरकार के पत्र संख्या-6-3/200-एफसी (पीटी), निंक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने,यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य की पुष्टि से स्टैडिंग कमेटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त करना होगा।	
23	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	
24	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फॉइल में दर्शाया गया।	
26	प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 50 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रुपये 13100/- (रुपये तेहरा हजार एक सौ मात्र) All Amount will be paid by e-Portal generated Challan only. वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त का प्रतिहरस्ताक्षरित प्रावकलन संलग्न है।	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase 1, Lodhi Road, new Delhi-110003 IFSC Code- CORP0000371
27	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिकर्षों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदुपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	
	CA Amount as per Proposal	13100/-
	CA Amount Deposited	13100/-

Difference in Amount	----
Reason for Difference	----
NPV Amount as per Proposal	49307.00 /-
NPV Amount Deposited	49307.00 /-
Difference in Amount	----
Reason for Difference	----
Any other amount deposited-(Complete details be provided)	----
CAMPA Confirmation	-----

भवदीय

(एम.सोम्मरन)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, विजनौर

पत्रांक /14-1 एकतर्फिनाकित
प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ०प्र०,लखनऊ को उनके पृष्ठांकित
पत्रांक2495/FP/Others/04755/2019 दिनांक 29.06.2019, EDS date 09.07.19& 11.07.19 के
क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को उनके पत्रांक
136/14-1 दिनांक 19.07.2019 को क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(एम.सोम्मरन)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, विजनौर

जनपद बिजनौर की तहसील बिजनौर के ग्राम खुड़ाहेड़ी की खसरा सं० 647 गाटा संख्या-181 पर बिजनौर-हरिद्वार मार्ग किमी० 21 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ) के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु 0.078764 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन

स्थल का नाम- आरक्षित वन ब्लॉक मोहनपुर
 रेंज का नाम- बिजनौर
 योजना का नाम- कैम्पा सी०ए०
 श्रमिक मजदूरी दर - 175/- प्रति दिन

प्रभावित वन क्षेत्र
 क्षतिपूरक वृक्षारोपण
 रोपण हेतु पौध सं०

0.078764 है०
 0.078750 है०
 50

(अग्रिम मृदा कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.078750	हेक्टेयर	28.00	2.21
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की सफाई / खुदान	0.078750	हेक्टेयर	4200.00	330.75
3	पॉलिथीन बंधन गडदा	50	संख्या	0.24	12.00
4	गडदा खुदान (45×45×45) से०मी०	50	संख्या	7.00	350.00
5	सुरक्षा खाई खुदान हेतु पॉलिथीन बंधन	12	प्रति मी०	0.38	4.56
6	सुरक्षा खाई खुदान कार्य (1.20×1.00×0.90 मी०)	12	प्रति मी०	50.40	604.80
7	अन्य व्यय				195.68
	योग				1500.00

वृक्षारोपण कार्य

1	गडदा भरान	50	संख्या	0.70	35.00
2	सुरक्षा खाई की दरेसी व 2 लाइनों में बीज बुआन	12	प्रति मी०	1.75	21.00
3	रोपण हेतु पौधों का क्रय (3 प्रतिशत अधिक)	52	संख्या	8.00	416.00
4	पौध का डुलान किमी० 20-40 (3 प्रतिशत अधिक)	52	संख्या	1.73	89.96
5	स्थानीय डुलान	50	संख्या	0.70	35.00
6	पीधारोपण 1 मी० व्यास का थावला बनवाई एवं तुरन्त सिचाई सहित	50	संख्या	2.80	140.00
7	निराई गुड़ाई - दो बार	100	संख्या	1.31	131.00
8	सिचाई - तीन बार	150	संख्या	0.72	108.00

वृक्षारोपण बोर्ड का क्य	1	संख्या	3727.00	3727.00
अन्य व्यय				297.04
योग				5000.00

प्रथम वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य 10 प्रतिशत बीटिंग अप सहित)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	गड्ढा खुदान कार्य	5	संख्या	7.00	35.00
2	रोपण हेतु पौधों का क्य (3 प्रतिशत अधिक)	6	संख्या	8.00	48.00
3	पौध का डुलान किमी० 20-40(3 प्रतिशत अधिक)	6	संख्या	1.73	10.38
4	स्थानीय डुलान	5	संख्या	0.70	3.50
5	पौधारोपण कार्य	5	संख्या	2.80	14.00
6	निराई गुड़ाई - दो बार	100	संख्या	1.31	131.00
7	पौध की सिचाई - छः बार	300	संख्या	0.72 1.19	216.00 357.00
8	पौधों की प्रुनिंग - एक बार	40	संख्या	1.40	56.00
9	पशुरक्षक - 1/10	2	प्रति दिन	175.00	350.00
10	अन्य व्यय				336.12 195.12
	योग				1200.00

द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - दो बार	100	संख्या	1.31	131.00
2	पौध की सिचाई - छः बार	300	संख्या	0.72 1.19	216.00 357.00
3	पौधों का प्रुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	पशुरक्षक - 1/10	2	प्रति दिन	175.00	350.00
5	अन्य व्यय				333.00 192.00
	योग				1100.00

तृतीय वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - एक बार	100	संख्या	1.31	131.00
2	पौध की सिचाई - छः बार	300	संख्या	0.72 1.19	216.00 357.00
3	पौधों का प्रुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	पशुरक्षक - 1/10	2	प्रति दिन	175.00	350.00
5	अन्य व्यय				333.00 192.00
	योग				1100.00

चतुर्थ वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - एक बार	50	संख्या	1.31	65.50
2	पौध की सिचाई - चार बार	200	संख्या	0.72 1.19	144.00 238.00
3	पौधों का प्रुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	अन्य व्यय				220.50 126.50
	योग				500.00

पंचम वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - दो बार	100	संख्या	1.31	131.00

2	बीघ की सिंचाई - छः बार	300	संख्या	0.72 1.19	236.00 357.00
3	बीघों का पुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	पशुसक - 1/10	2	प्रति दिन	175.00	350.00
5	अन्य व्यय				323.00 192.00
	योग				1100.00

षष्ठम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - दो बार	100	संख्या	1.31	131.00
2	बीघ की सिंचाई - तीन बार	150	संख्या	0.72 1.19	108.00 178.50
3	बीघों का पुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	अन्य व्यय				191.00 120.50
	योग				500.00

सप्तम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - दो बार	100	संख्या	1.31	131.00
2	बीघ की सिंचाई - चार बार	200	संख्या	0.72 1.19	144.00 238.00
3	बीघों का पुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	अन्य व्यय				155.00 61.00
	योग				500.00

अष्टम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - एक बार	50	संख्या	1.31	65.50
2	बीघ की सिंचाई - एक बार	50	संख्या	0.72 1.19	36.00 59.50
3	बीघों का पुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	अन्य व्यय				28.50 5.00
	योग				200.00

नवम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - एक बार	50	संख्या	1.31	65.50
2	बीघ की सिंचाई - एक बार	50	संख्या	0.72 1.19	36.00 59.50
3	बीघों का पुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	अन्य व्यय				28.50 5.00
	योग				200.00

दशम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई - एक बार	50	संख्या	1.31	65.50
2	बीघ की सिंचाई - एक बार	50	संख्या	0.72 1.19	36.00 59.50
3	बीघों का पुनिंग कार्य - एक बार	40	संख्या	1.75	70.00
4	अन्य व्यय				28.50 5.00
	योग				200.00


सारांश

घरण	कुल व्यय
-----	----------

अग्रिम मृदा कार्य	1500.00 ✓
वृक्षारोपण कार्य	5000.00 ✓
प्रथम वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य 10 प्रतिशत बीटिंग अप सहि)	1200.00 ✓
द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)	1100.00 ✓
तृतीय वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	1100.00 ✓
चतुर्थ वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	500.00 ✓
पंचम वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	1100.00 ✓
षष्ठम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	500.00 ✓
सप्तम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	500.00 ✓
अष्टम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	200.00 ✓
नवम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	200.00 ✓
दशम् वर्ष (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य)	200.00 ✓
योग	13100.00 ✓✓

नोट

1. प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 526/11-सी दिनांक 09.09.2016 द्वारा निर्धारित प्रति है० सीलिंग दर के अनुसार बनाया गया है।
2. प्राक्कलन में प्रथम वर्ष अनुरक्षण में 10 प्रतिशत बीटिंग-अप का प्राविधान किया गया है।
3. उक्त दरों में महंगाई व मुदास्फीति (Cost Escalation) को ध्यान में रखते हुए तृतीय वर्ष (प्रथम अनुरक्षण) से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित वृद्धि को भी समावेशित कर लिया गया है।

C.S.

 वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद


 (स० सेम्मारन)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, विजनौर

Ref:MTRO/NK/LOI/254

date 25.10.2016

Calculation of NPV Levies

Calculation of NPV Levies of effective Forest land for M/S Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Meerut. Proposed Petrol/Diesel retail outlet village khudaheri khasra no.647 gata no. 181(RHS) Bijnor-Haridwar Road km. stone 21 Tehsil & District Bijnor.

<u>Effective forest land</u>	<u>Category-III</u>	<u>Rate</u>	<u>Total</u>
0.078764 ha.	(Open Forest)	6.26 lac per ha.	49306.26
Net Total NPV Amount			49307.00

Date:- 11.07.2019

Place:- Bijnor


(M.Semmaran)
Divisional Director
Social Forestry Division
Bijnor. 